जीएसटी– प्रभाव व चुनौतियां : एक अध्ययन

डॉ. प्रकाश चन्द्र बैरवा

प्रस्तावना :–

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया जाना अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें केन्द्र व राज्यों के अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर उन्हें एकल कर अर्थात् वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को रूप देने से दोहरे कराधान की समस्या का समाधान हो सकेगा और एक समान राष्ट्रीय बाजार का मार्ग प्रस्तुत हो सकेगा। अब 01 जुलाई, 2017 से सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें पूरे देश में एक सी हो जाएगी। जीएसटी के लागू होने के बाद अब उत्पाद शुल्क सेवा कर, राज्य वैट, मनोरंजन कर, प्रवेश शुल्क, लग्जरी टैक्स आदि कई सारे टैक्स खत्म हो जाएंगें और इनकी जगह देश–भर में एक समान कर प्रणाली लागू हो जाएगी। इसके तहत 7 प्रतिशत वस्तुओं को कर छुट सूची के अंतर्गत रखा गया है जबकि 14 प्रतिशत को 5 प्रतिशत के सबसे कम रेट के अंदर रखा गया है। 17 प्रतिशत आईटम 12 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब में रखे गये है। 43 प्रतिशत को 18 प्रतिशत टैक्स रेट में और 19 प्रतिशत चीजों को टॉप टैक्स में 28 प्रतिशत की लिस्ट में रखा गया है।

जीएसटी क्या हैं :–

वर्तमान में भारत का अप्रत्यक्ष कर का ढाँचा अत्यंत पेचीदा है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर तरह–तरह के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। संविधान के केन्द्र और राज्यों के बीच आर्थिक शक्तियों का बँटवारा किया गया है, जिसके अनुसार सीमा कर, शराब और कुछ स्थानीय स्तर पर बनने वाले उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को छोड़कर शेष सभी प्रकार के उत्पाद शुल्क लगाने को अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। इसके अलावा केन्द्र सरकार पिछले लगभग 15 वर्षों से सेवा कर भी लगा रही है। उधर राज्य सरकारों के पास बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्आम्प ड्यूटी, बिजली के उपभोग, माल और यात्रियों के परिवहन इत्यादि पर कर लगाने का अधिकार है। जीएसटी के लागू होने के बाद कुछ अपवादों को छोड़कर शेष सभी अप्रत्यक्ष कर अब जीएसटी में विलिन हो गए है।

जीएसटी एक उपयोग आधारित कर हैं जो अंतिम पड़ाव से सिद्धांत पर आधारित है। जहां वस्तु और सेवा का अंतिम पड़ाव यानि उपयोग होता हैं, वहीं पर यह कर लगता है। हालांकि वस्तु और सेवा के उत्पादन (मूल्य संवर्धन) के हर स्तर पर जीएसटी वसूला जाता हैं और हर अगले पड़ाव में पिछले पड़ावों पर दिये गए को टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया जाता है। पूर्ति की कड़ी के अंतिम पड़ाव यानि उपभोक्ता से पूरा जीएसटी वसूला जाता है और वह राजस्व में जमा किया जाता है।

जीएसटी का उद्भव :–

जीएसटी की अवधारणा सर्वप्रथम तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिंदम्बरम द्वारा 2007–08 में आम बजट में प्रस्तुत की गई और यह आशा की गई कि जीएसटी को 01 अप्रैल, 2010 से लागू किया जा सकेगा, राज्यों में वैट का स्वरूप तैयार करने वाले राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ईसी) से आग्रह किया गया कि वह जीएसटी (ळैज) का खाका (रोड़ मैप) और संरचना तैयार करें। जीएसटी के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने और विशेषकर रियायतों एवं न्यूनतम सीमा, सेवाओं के कराधान तथा अंतर– राज्य आपूर्ति के कराधान पर रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ–साथ केन्द्र के भी प्रतिनिधियों वाले अधिकारियों के संयुक्त कार्यदलों को गठन किया गया था। आंतरिक चर्चाओं एवं केन्द्र सरकार के साथ हुए विचार–विमर्श के आधार पर ईसी ने नवम्बर, 2009 में जीएसटी पर प्रथम परिचर्चा प्रपत्र (एफडीपी) जारी किया था इसमें प्रस्तावित जीएसटी की विशेषताओं का उल्लेख किया गया था और यही अब तक केन्द्र एवं राज्यों के बीच विचार–विमर्श का आधार रहा है।

जीएसटी को लागू करने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना आवश्यक था, संविधान संशोधन विधेयक को

लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में दो–तिहाई बहुमत से पारित कराने के साथ–साथ 15 राज्य विधान सभाओं से इसकी पुष्टि भी होनी थी, जीएसटी लागू करने के लिए केन्द्र और राज्यों को समवर्ती अधिकार सौंपने हेतु एक अनूठी संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता थ, जो यह सुनिश्चित करेगी कि जीएसटी की संरचना, स्वरूप एवं परिचालन के बारे में निर्णय दोनों ही द्वारा संयुक्त रूप से लिये जायें।

जीएसटी संबंधी संविधान (101वां) संशोधन अधिनियम, 2016 :–

संविधान संशोधन विधेयक 19 दिसम्बर, 2014 को 16वीं लोकसभा में पेश किया गया था, इस विधेयक में मानव के उपयोग वाली शराब को छोड़कर समस्त वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाने का प्रावधान किया गया था।

संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में मई, 2015 में पारित किया तथा यह विधेयक 12 मई, 2015 को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति ने 22 जुलाई, 2015 को इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और कुछ विशेष संशोधनों के साथ वह विधेयक अंततः राज्यसभा में पारित हो गया और इसके बाद लोकसभा ने अगस्त, 2016 में इसे पारित कर दिया, इसके बाद आवश्यक संख्या में राज्यों द्वारा इस विधेयक की पुष्टि की गई और 8 सितम्बर, 2016 को इस राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तत्पश्चात् 16 सिम्बर, 2016 से हय संविधान (101वां) संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियम बन गया है।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) :–

जीएसटी के दर, रियायत एवं न्यूनतम सीमा, विलेय किय जाने वाले करों और अन्य विशेषताओं के बारे में सिफारिशें पेश करने के लिये वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) का गठन किया गया, जिसमें केन्द्रीय वित्त मंत्री, राज्य मंत्री (राजस्व) और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। इस व्यवस्था से केन्द्र एवं राज्यों के बीच और इसके साथ ही समस्त राज्यों में जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर कुछ हद तक एकरूपता सुनिश्चित हो गयी हैं, जीएसटीसी के कुल सदस्यों का आधा हिस्सा जीएसटीसी की बैठकों का कोरम हैं, जीएसटीसी में कोई निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाता हैं जो डाले गए भारित मतों के तीन–चौथाई से कम नहीं होता है। बहुमत के लिए केन्द्र एवं न्यूनतम 20 राज्यों की आवश्यकता पड़ती हैं, क्योंकि केन्द्र के पास डाले गए कुल मतों का एक–तिहाई भारांक (वेटेज) और सभी राज्यों के पास कुल मिलाकर डाले गए समस्त मतों का दो–तिहाई भारांक है।

जीएसटीसी को 12 सितम्बर, 2016 से अधिसूचित किया गया हैं, जीएसटीसी को एक सचिवालय की और से सहायता सुनिश्चित की जा रही है, जीएसटीसी की अब तक 13 बैठकें हो चुकी हैं और इन बैठकों में न्यूनतम छुट सीमा, संयोजन न्यूनतम सीमा, कर दरें व जीएसटी से संबंधित कानूनों पर निर्णय लिये गये हैं।

जीएसटी से संबंधित कठिनाईयाँ :–

विश्व के लगभग 140 देशों में जीएसटी या वैट कर प्रणाली किसी न किसी रूप में हैं लेकिन अन्य देशों में जीएसटी की एक ही दर होती है जबकि भारत में शुन्य के अलावा चार और दरें यथा 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत हैं, साथ ही जहाँ विश्व के अन्य देशों में होटल, रेस्टोरेट, ट्रान्सपोर्ट आदि पर एक ही दर लागू होती हैं वहां भारत में होटल के रूम टैरिफ और टर्न ओवर के आधार पर कर की दरें तय की गयी हैं, जिससे विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत में होटल में ठहरना महँगा साबित होगा।

इसके साथ ही देश के लघु उद्यमियों व छोटे व्यापारियों में चिंता का एक बड़ा कारण बना हुआ हैं और उन्हें लगता हैं कि जीएसटी उनके लिए भारी घाटे का सौदा हैं क्योंकि वर्तमान में लघु उद्योगों में 1.5 करोड़ रूपये तक के उत्पादन के लिये उत्पाद शुल्क में छुट का प्रावधान है लेकिन जीएसटी के प्रावधनों के अनुसार हर उस ईकाई को जो वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करती है और जिसका व्यवसाय 20 लाख से ज्यादा हैं उसे अपने राज्य जहां वह व्यवसाय करती हैं, मे स्वयं की जीएसटी के लिये पंजीकृत करना होगा। और संविधान के अनुच्छेद 279 ए में वर्णित विशेष श्रेणी के राज्यों (असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मु एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड) के लिये न्यूनतम छुट सीमा 10 लाख रूपये तक की गई है।

जीएसटी के लाभ :–

भारत में ''एकीकृत एक समान राष्ट्रीय बाजार'' सृजित करने में मदद मिलेगी, जिससे विदेशी निवेश और 'मेक इन इण्डिया' अभियान को नई गति मिल सकेगी साथ ही जीएसटी से करों का भार कम होगा, क्योंकि आपूर्ति के प्रत्येक चरण में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों में एकरूपता आयेगी। निर्यात एवं विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होगें तथा देश के (जीडीपी) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्वि होगी। एसजीएसटी और आईजीएसटी दरें एक समान होने से पड़ोसी राज्यों और राज्य के भीतर ही होने वाली बिक्री एवं अंतर राज्य बिक्री पर दर के मामले में मिलने वाली बढ़त खत्म हो जाएगी, जिससे कर चोरी गुंजाइश कर हो जाएगी।

कारोबारियों के लिये अनुपालन लागत घट जाएगी, क्योकि विभिन्न करों का अलग–अलग रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे टैक्स रिकॉर्ड बनाएँ रखने के लिये संसाधनों एवं श्रम बल में अधिक निवेश नहीं करना पडेगा। साथ ही बड़े व्यवसायों में आसानी से टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है। बड़ी–बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में तो लेन–देन उनकी अपनी ही ब्रांचों के बीच होती हैं, जिसके कारण उन्हें अपना लेखा–जोखा और टैक्स क्रेडिट में कोई कठिनाई नहीं होगी।

व्याख्याता लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा

References

1. Jump up^ "Film theatres in Tamil Nadu to begin indefinite strike against GST"The Hindu. 2 July 2017. Retrieved 3 July 2017.
2. Jump up^ "Looking back at GST's journey: How an idea is now near reality" Indian Express, 31 March 2017
3. Jump up to:a b c "GST: A 17-year-old dream, 17 phases towards creating history", India Today, 29 June 2017
4. Jump up^ "Goods and Services Tax: History of India's biggest tax reform and people who made it possible", India TV, 29 Jun 2017
5. Jump up^ "GST rollout: All except J-K pass State GST legislation", The Indian Express, 22 June 2017
6. Jump up^ "GST draft makes it must for companies to pass tax benefit to consumers" The Times of India, 27 November 2016
7. Jump up^ "GST Rollout Attendees", Financial Express, June 30, 2017
8. Jump up to:a b "GST launch: Times when the Parliament convened for a session at midnight", The Hindustan Times, 30 June 2017